# पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

**अरुण तन्ती**
**बनाम**
**बिहार राज्य**

**2017 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 299**

16 अप्रैल, 2025

**(माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह एवं माननीय** न्यायमूर्ति **श्री शैलेन्द्र सिंह)**

**विचार के लिए मुद्दा**

- क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि साक्ष्य रिकॉर्ड के आधार पर टिकाऊ थी?
- क्या परिस्थितियों के मद्देनजर दोषसिद्धि को धारा 304 भाग II में परिवर्तित किया जाना उचित था?

**हेडनोट्स**

अभियोजन पक्ष आरोपित घटना तथा अपीलकर्ता द्वारा किए गए आरोपित कृत्य को सिद्ध करने में सफल रहा है। (अनुच्छेद 27)

हालाँकि, यह प्रतीत होता है कि आरोपित घटना पूर्वनियोजित नहीं थी, बल्कि वह अचानक और क्षणिक उकसावे में घटित हुई।अपीलकर्ता ने मृतक पर केवल एक ही वार किया और मृतक के ज़मीन पर गिरने के पश्चात उस पर बार-बार हमला नहीं किया। घटना से पूर्व अभियुक्त द्वारा कोई पूर्व तैयारी नहीं की गई थी।अपीलकर्ता और मृतक के बीच कोई पूर्व शत्रुता नहीं थी। मृत्यु का इरादा नहीं था। (अनुच्छेद 27)

पर्याप्त साक्ष्य, विशेष रूप से अभियोजन पक्ष के प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयानों के रूप में, जो चिकित्सीय साक्ष्यों से पुष्ट होते हैं, अपीलकर्ता के आरोपित कृत्य को प्रमाणित करने हेतु उपलब्ध हैं। फिर भी, न्यायालय धारा 302 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लगाए गए अपराध में अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए सहमत नहीं है। उपरोक्त कारणों से न्यायालय अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को हत्या न होकर गैर इरादतन हत्या (जो हत्या के समान नहीं है) के अपराध में, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के खंड द्वितीय (भाग-II) के अंतर्गत दंडनीय है, परिवर्तित करता है। (अनुच्छेद 27)

चूंकि अपीलकर्ता पहले ही इस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सज़ा — चौदह वर्ष का कारावास — पूरी कर चुका है, अतः यदि किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत आवश्यक नहीं है तो उसे तत्काल रिहा किया जाए। (अनुच्छेद 27)

**न्याय दृष्टान्त**

*अप्पाभाई बनाम गुजरात राज्य,* (1988) सुपप एस.सी.सी. 241

**अधिनियमों की सूची**

भारतीय दंड संहिता, 1860 ; धारा 302, 304 भाग II, 34

**मुख्य शब्दों की सूची**

आपराधिक मानव वध ;धारा 304 भाग II ;सजा में कटौती ;स्वतःस्फूर्त घटना ;खंती से वार ; पोस्टमार्टम पुष्टि ; प्रत्यक्षदर्शी गवाही ; ग्रामीण हत्या ; पूर्वनियोजन नहीं ; पारिवारिक साक्षी

**प्रकरण से उत्पन्न**

18.01.2017 एवं 19.01.2017 को पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंगेर द्वारा सत्रवाद संख्या 614/2011 (खड़गपुर थाना कांड संख्या 83/2011) में पारित निर्णय एवं आदेश से

**पक्षकारों की ओर से उपस्थिति**

अपीलकर्ता की ओर से: श्री धनंजय कुमार सिंह, अधिवक्ता ; श्री ज्योति रंजन झा, अधिवक्ता ; सुश्री सृष्टि रानी, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: सुश्री शशि बाला वर्मा ; अपर लोक अभियोजक

रिपोर्टर द्वारा हेडनॉट्स बनाया गया : अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

**पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश**

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**
**2017 की आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 299**

थाना कांड संख्या.- 83 वर्ष-2011 थाना-खड़गपुर, जिला-मुंगेर से उद्भूत

======================================================

अरुण ताँती, पिता- स्वर्गीय फागू ताँती, निवासी- ग्राम तेघड़ा, थाना-खड़गपुर, जिला - मुंगेर

......अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

...... उत्तरवादी/गण

==================================================

**उपस्थितिः**

अपीलार्थी/ओं के लिएः श्री धनंजय कुमार सिंह, अधिवक्ता
श्री ज्योति रंजन झा, अधिवक्ता
श्रीमती सृष्टि रानी, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्रीमती शशि बाला वर्मा, एपीपी

==================================================

**समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह**
**और**
**माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह**

**मौखिक निर्णय**

**(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह)**

**दिनांक: 16** अप्रैल**, 2025**

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री धनंजय कुमार सिंह और राज्य की ओर से उपस्थित अपर लोक अभियोजक सुश्री शशि बाला वर्मा को सुना गया।

**2.** वर्तमान आपराधिक अपील, दिनांक 18.01.2017 को पारित निर्णय तथा दिनांक 19.01.2017 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जो कि विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 5 वे मुंगेर द्वारा, जो कि खड़गपुर थाना कांड संख्या 83/2011 से संबंधित सत्र वाद संख्या 614/2011 में पारित किया गया है; जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने एकमात्र अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अपराध में दोषसिद्ध कर, आजीवन साधारण कारावास की सज़ा सुनाई है तथा ₹5,000/- (पाँच हज़ार रुपये) के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में, अपीलकर्ता को एक माह का सादा कारावास भुगतने का आदेश पारित किया गया है।

**3.** प्राथमिकी से प्रतिलक्षित अभियोजन पक्ष की कहानी का सारांश इस प्रकार है:-

सूचक रूपेश कुमार ताँती (जिसका अभियोजन साक्षी-4 के रूप में परीक्षण किया गया) के अनुसार, दिनांक 17.04.2011 को रात्रि लगभग 8:00 बजे, अभियुक्तगण अरुण कुमार ताँती (अपीलकर्ता), लीलाधर ताँती, संजय ताँती एवं गजेन्द्र ताँती ने सर्वप्रथम उसके पिता बंसीधर ताँती, पीड़ित (जिसे आगे 'मृतक'कहा जाएगा) को गाली-गलौज करना प्रारंभ किया। जब पीड़ित ने उक्त गाली-गलौज का विरोध किया, तो सभी अभियुक्तगण उसके घर में प्रवेश कर गए और तत्पश्चात अपीलकर्ता ने एक *खंती* का वार मृतक की पीठ पर किया, तथा सह-अभियुक्तों ने लाठी से प्रहार किया, जिससे सूचक के पिता की मृत्यु हो गई। सूचक के अनुसार घटना का कारण यह है कि चारों आरोपियों ने मृतक के साथ कथित घटना के एक सप्ताह पूर्व गाली-गलौज की थी तथा गाली-गलौज के समय सभी मृतक के साथ मारपीट करना चाहते थे, लेकिन किसी तरह ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर दिया, जिसके कारण उस दिन *मारपीट* की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन उस समय सभी आरोपियों ने मृतक को जान से मारने की धमकी दी तथा इसी रंजिश के चलते अपीलकर्ता एवं सह-आरोपियों ने *खंती* एवं *लाठी* से लैस होकर उसके घर में घुसकर उसके पिता की हत्या कर दी।

**4.** सूचक ने दिनांक 17.04.2011 को थाना खड़गपुर में एक लिखित आवेदन (प्रदर्श 2) प्रस्तुत किया, जिसमें उपर्युक्त अभियोजन कहानी का वर्णन किया गया था। उक्त लिखित सूचना को मुन्ना ताँती नामक व्यक्ति ने लिपिबद्ध किया था। उक्त आवेदन के आधार पर खड़गपुर थाना कांड संख या 83/2011 के अंतर्गत रात्रि 10:30 बजे औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिससे आपराधिक विधि की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और अनुसंधान आरंभ किया गया।

**5.** अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात, अनुसंधान अधिकारी ने अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 / 34 के तहत

आरोप पत्र समर्पित किया, जबकि प्राथमिकी में नामित सह-अभियुक्तों के विरुद्ध अनुसंधान लंबित रखा गया।

**6.** विद्वान दंडाधिकारी ने अपीलकर्ता के विरुद्ध उसी अपराध का संज्ञान लिया जिन धाराओं में आरोप पत्र समर्पित किया गया था, और यह पाते हुए कि उक्त अपराध धारा 302 भारतीय दंड संहिता सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, दिनांक 05.09.2011 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता के मामले को विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया।

**7.** अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ धारा 34 के तहत आरोप लगाया गया था और उसे हिंदी में पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया, जिस पर उसने खुद को निर्दोष बताया और आरोपित अपराध के लिए मुकदमा चलाने का दावा किया।

**8.** मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नलिखित गवाहों का परीक्षण किया गया :-

| क्रम संख्या | नाम | सुसंगतता |
|---|---|---|
| अभियोजन साक्षी 1 | सलगम कुमारी | स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी बताते हुए, मृतक की बेटी |
| अभियोजन साक्षी 2 | पार्वती देवी | स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी बताते हुए, मृतक की बहू |
| अभियोजन साक्षी 3 | सुरेश ताँती | स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी बताते हुए, मृतक का भाई |
| अभियोजन साक्षी 4 | रुपेश ताँती | सूचक मृतक के बेटे, स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी बताते हुए |
| अभियोजन साक्षी 5 | मार्सेलान ऐयेन्द | अनुसंधान अधिकारी |
| अभियोजन साक्षी 6 | पंकज कुमार | स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी बताते हुए, मृतक के एक रिश्तेदार |
| अभियोजन साक्षी 7 | विलास ताँती | सुनी सुनाई गवाही |
| अभियोजन साक्षी 8 | भूषण ताँती | सुनी सुनाई गवाही |
| अभियोजन साक्षी 9 | डॉ. सुशील कुमार झा | पोस्टमॉर्टम कराने वाले डॉक्टर *खनती* |
| अभियोजन साक्षी10 | राजेश कुमार | एक पुलिस अधिकारी (सिपाही) जिसने जांच रिपोर्ट को साबित किया |

दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजों को साबित किया और उन्हें प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया जो निम्नानुसार हैं :-

| | |
|---|---|
| प्रदर्श -1 | प्राथमिकी की पूरी लिखित सामग्री और सूचक का हस्ताक्षर |
| प्रदर्श -2 | लिखित आवेदन पर अनुमोदन और हस्ताक्षर |
| प्रदर्श -3 | पोस्टमार्टम रिपोर्ट |
| प्रदर्श -4 | पंचनामा रिपोर्ट |

**9.** अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पूरा हो जाने के पश्चात, अपीलकर्ता का बयान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया, जिसमें अपीलकर्ता ने अभियोजन साक्ष्यों से उत्पन्न सभी मुख्य परिस्थितियों का खंडन किया और उन्होंने खुद के निर्दोष होने का दावा किया और मुख्य रूप से बचाव किया कि उन्हें कथित घटना में गलत तरीके से फंसाया गया है।

**10.** अपीलार्थी ने अपने बचाव में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया।

**11.** अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने समस्त अभियोजन साक्षियों, विशेषतः अभियोजन साक्षी-1, अभियोजन साक्षी-2, अभियोजन साक्षी-3, अभियोजन साक्षी-4 (सूचक) तथा अभियोजन साक्षी-6 के साक्ष्य पर भरोसा किया, तथा अन्य अभियोजन गवाहों अर्थात् अभियोजन साक्षी-7 और अभियोजन साक्षी-8 के साक्ष्य को अभियोजन कहानी के सहायक के रूप में स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त, अभियोजन साक्षी-9 द्वारा प्रमाणित पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं उसके चिकित्सकीय साक्ष्य को भी विचारण न्यायालय ने प्राथमिकी में वर्णित घटना के समय, तरीके तथा विशेष रूप से अपीलकर्ता द्वारा मृतक पर प्रहार में प्रयुक्त कथित हथियार के समर्थन पुष्टि के रूप में माना गया। उक्त आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता का कथित कृत्य हत्या के बराबर दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

**<u>अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा अभिकथन</u> :-**

**12.** श्री धनंजय कुमार सिंह, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन गवाहों के साक्ष्य में कथित घटना स्थल के संबंध में भौतिक विरोधाभास विद्यमान है, क्योंकि प्राथमिकी के अनुसार जहाँ घटना घटित होने का उल्लेख है, उस स्थान के विषय में गवाहियों में विसंगति है। इसके अतिरिक्त, अनुसंधानकर्ता तथा डॉक्टर को छोड़कर अन्य सभी गवाह मृतक के पारिवारिक सदस्य हैं, अर्थात् अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत या परीक्षण में नहीं लाया गया, जबकि अभियोजन गवाहों के अनुसार घटना के तुरंत बाद कई लोग कथित स्थल पर एकत्रित हो गए थे। यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन कहानी के अनुसार, अपीलकर्ता पर मृतक के पीठ पर केवल एक बार *खंती* से प्रहार करने का आरोप है, और यह आरोप नहीं है कि अपीलकर्ता ने उसी हथियार से बार-बार प्रहार किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यदि अभियोजन कहानी को सही भी माना जाए तो अपीलकर्ता की मृतक को मारने की कोई नियत नहीं थी। आगे यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन कहानी से यह परिलक्षित होता है कि प्रारंभ में अभियुक्तगण, जिनमें अपीलकर्ता भी सम्मिलित है, मृतक के साथ गाली-गलौज कर रहे थे और जब मृतक ने इसका विरोध किया तब अभियुक्तगण उसके घर में घुसे और उस पर हमला किया। यह परिस्थितियाँ यह इंगित करती हैं कि कथित घटना पूर्व-नियोजित नहीं थी, बल्कि तत्काल उत्तेजना में घटित हुई। अतः इस प्रकार की स्थिति में, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध करना माननीय विचारण न्यायालय का पूर्णतः गलत निष्कर्ष है और धारा 304 भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के विपरीत है। अंततः, विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान समय में अपीलकर्ता की आयु लगभग *77* वर्ष है और वह गंभीर गुर्दा रोग से पीड़ित है, अतः उसे तत्काल अपने परिवारजनों की देखभाल की आवश्यकता है, अन्यथा उसकी जीवन रक्षा संभव नहीं है। अपीलकर्ता की बीमारी की जानकारी विचारण न्यायालय को दंड निर्धारण के समय भी दी गई थी।

**<u>प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा अभिकथन :-</u>**

**13.** दूसरी ओर, सुश्री शशि बाला वर्मा, विद्वान अपर लोक अभियोजक, जो राज्य की ओर से उपस्थित हैं, ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि कथित घटना एक पूर्वनियोजित तरीके से की गई थी, क्योंकि पहले अभियुक्तगण, जिनमें अपीलकर्ता भी शामिल था, ने मृतक के साथ गाली-गलौज किया और फिर उसके घर में प्रवेश कर उसे *खंती* और *लाठी* का प्रयोग कर गंभीर रूप से घायल किया और सह-अभियुक्तों द्वारा *लाठियों* से कई प्रहार किए गए और अपीलकर्ता ने *खंती* का उपयोग करके मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर घातक चोट पहुंचाई जो एक घातक उपकरण/हथियार के दायरे में आता है, यदि इसका उपयोग किसी व्यक्ति पर हमला करने में किया जाता है। चिकित्सीय साक्ष्य अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पूरी तरह से पुष्टि करते हैं और इस मामले में हत्या के अपराध के मुख्य तत्व स्पष्ट रूप से आकर्षित होते हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से हत्या के अपराध के लिए उचित रूप से दोषी ठहराया है और इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

**14.** हमने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं, विचारण न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा अभियुक्त के बयान का अवलोकन किया और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर भी विचार किया।

**15.** मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कथित हत्या के अपराध से संबंधित हैं और जो प्राथमिकी से उभर कर सामने आते हैं, वे इस प्रकार हैं: पहला, अभियुक्तगण, जिनमें अपीलकर्ता भी शामिल है, ने मृतक को गाली-गलौज किया, और दूसरा, जब मृतक ने उस गाली-गलौज का विरोध किया, तो अभियुक्तगण, जिनमें अपीलकर्ता भी शामिल था, मृतक के घर में घुस गए। तीसरा, अपीलकर्ता ने मृतक की पीठ पर *खंती* से वार किया और चौथा, अन्य अभियुक्तों ने मृतक पर *लाठी* से हमला किया। जहाँ तक अपीलकर्ता सहित अभियुक्तों के द्वारा कथित घटना को अंजाम देने के हेतुक का प्रश्न है, सूचक के अनुसार, कथित घटना के एक सप्ताह पूर्व सभी

अभियुक्तों, जिनमें अपीलकर्ता भी शामिल था, ने बिना किसी कारण के मृतक को गाली-गलौज किया था और उस समय उसे मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन गाँववालों के हस्तक्षेप के कारण उस समय झगड़ा और अधिक नहीं बढ़ा। हालांकि, उस अवसर पर अभियुक्तों, जिनमें अपीलकर्ता भी सम्मिलित था, ने मृतक को जान से मारने की धमकी दी थी।

**<u>विचार और विश्लेषणः-</u>**

**16.** हालाँकि, किसी अपराध की एफआईआर का साक्ष्य मूल्य सीमित होता है और इसे अपने आप में एक ठोस सबूत नहीं माना जाता है, फिर भी, इसका उपयोग मुखबिर के बयान की पुष्टि या खंडन करने के लिए किया जा सकता है और तीन कारक मुख्य रूप से इसके साक्ष्य मूल्य को प्रभावित करते हैं। पहला, एफआईआर का तुरंत दर्ज होना। दूसरा, घटना के महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल करना और तीसरा, अन्य सबूतों के साथ संरेखण। प्रत्येक आपराधिक मामले में प्राथमिकी अभियोजन कथा को दर्शाती है और अभियोजन का पूरा मामला सामान्यतः प्राथमिकी से उभरने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों के इर्द-गिर्द घूमता है जो कथित अपराध से संबंधित होते हैं। वर्तमान मामले में, कथित घटना दिनांक 17.04.2011 को रात्रि लगभग 8:00 बजे घटित हुई बताई गई है तथा घटना की एफआईआर लिखित आवेदन (प्रदर्श 2) दाखिल करके दर्ज कराई गई थी, उस आधार पर, उसी दिन 22:30 बजे (रात्रि 10:30 बजे) औपचारिक एफआईआर दर्ज की गई, जिससे पता चलता है कि वर्तमान मामले में एफआईआर सूचक द्वारा तत्परता से दर्ज कराई गई थी तथा कथित घटना के घटित होने तथा एफआईआर दर्ज कराने के बीच कोई अधिक अंतराल नहीं था, जिससे सूचक द्वारा कोई कहानी गढ़ने की संभावना समाप्त हो जाती है, अतः वर्तमान मामले की एफआईआर विश्वसनीय मानी जा सकती है।

**17.** अब हम अभियोजन के मुख्य गवाहों के साक्ष्य पर चर्चा करेंगे ताकि उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्यों की सत्यता का पता लगाया जा सके, जो कथित घटना की रचना के लिए प्रासंगिक हैं, और यह भी जानने के

लिए कि क्या प्राथमिकी में वर्णित अभियोजन कथा विश्वसनीय है तथा अभियोजन पक्ष उसे संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल हुआ है या नहीं।

चूंकि अभियोजन की कहानी के अनुसार कथित घटना का मुख्य भाग मृतक के घर के भीतर घटित हुआ, इसलिए मृतक की पुत्री अभियोजन साक्षी-1, मृतक की पुत्रवधू अभियोजन साक्षी-2, पार्वती देवी, मृतक का सगा भाई अभियोजन साक्षी-3, सुरेश टांती तथा मृतक का पुत्र अभियोजन साक्षी-4, रूपेश कुमार ताँती इन चार गवाहों का साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि उनका कथित घटना स्थल पर उपस्थित रहना स्वाभाविक प्रतीत होता है। साथ ही, उन्होंने स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी बताया है। अतः अभियोजन का पूरा मामला मुख्यतः इन्हीं गवाहों के साक्ष्य पर आधारित है।

**18.** अभियोजन साक्षी-1 सलगम कुमारी, जो मृतक की पुत्री हैं, ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि कथित घटना रात्रि के लगभग 8:00 बजे घटी थी। उस समय वह अपने घर के भीतर अपने भाई की पत्नी के साथ मौजूद थीं और उनके पिता घर के आंगन में थे। तभी अपीलकर्ता और अन्य अभियुक्त आंगन में आए और गाली-गलौज करने लगे। उस समय अपीलकर्ता के पास *खंती* थी और अन्य अभियुक्तों के पास *लाठी* थी। उसने आगे बताया कि अपीलकर्ता ने उसके पिता (मृतक) पर *खंती* से प्रहार किया और अन्य अभियुक्तों ने *लाठी* से हमला किया। इसके बाद वह रोने लगी, तब गाँव के कुछ लोग भूषण ताँती, बिंदा ताँती, सुरेश ताँती, पंकज ताँती तथा अन्य कुछ ग्रामीण वहाँ आ गए। उन्हें देखकर अभियुक्तगण मौके से भाग निकले। उसने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी कहा कि उसने अभियुक्तों को सड़क के किनारे लगी विकिरण बत्ती की रोशनी में पहचाना। इन तथ्यों पर गवाह का लंबा प्रति परीक्षण किया गया, जिसमें उसने यह कहा कि उसने *दारोगा जी* (पुलिस अधिकारी) से यह कहा था कि अपीलकर्ता ने मृतक पर *खंती* से हमला किया और अन्य अभियुक्तों ने उसे *लाठी* से मारा। उसकी चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण वहाँ आए थे और उसने प्रकाश स्रोत के बारे में भी पुलिस को जानकारी दी थी। इस गवाह के अनुसार, कथित घटना उसके घर के बाहर घटी थी और मृतक के शरीर से

कुछ खून जमीन पर गिरा था, जिससे मृतक के कपड़े खून से सने हुए थे। इस गवाह ने अपने प्रति परीक्षण में यह कहा कि सह-अभियुक्तों ने मृतक की पीठ और सिर पर तीन *लाठी* के वार किए, जिसके कारण उसके पिता (मृतक) गिर पड़े, लेकिन इसके बाद उस पर कोई *खंती* से वार नहीं किया गया था। उसने यह भी कहा कि कथित घटना से पूर्व, उसके परिवार और अपीलकर्ता अरुण कुमार ताँती के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। इस प्रकार, घटना के तरीके के संबंध में, गवाह अपने बयान में सुसंगत रही और उसने उस प्रकाश स्रोत का भी खुलासा किया, जिससे वह अभियुक्तों, जिसमें अपीलकर्ता भी शामिल था, की पहचान करने में सक्षम थी। साथ ही, उसने उस हथियार/उपकरण का समर्थन किया, जिसका प्रयोग अपीलकर्ता द्वारा मृतक पर हमला करने में किया गया था। उसकी गवाही से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता ने मृतक पर केवल एक *खंती* का वार किया था और मृतक और अपीलकर्ता के बीच कोई पूर्व दुश्मनी नहीं थी। मुख्य आरोपों के संदर्भ में, इस गवाह की गवाही अभियोजन पक्ष की कहानी की पूरी तरह से पुष्टि करता है। हालाँकि, कथित घटना स्थल और एक उर्मिला देवी की मौजूदगी, जो अन्य सह-अभियुक्तों के साथ बताई गई है, के संबंध में इस गवाह की गवाही कुछ हद तक विरोधाभासी प्रतीत होती है। जहाँ तक घटना स्थल का प्रश्न है, उस पर आगे अन्य महत्वपूर्ण गवाहों के साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद चर्चा की जाएगी। परंतु अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में, इस गवाह की गवाही विश्वसनीय और भरोसेमंद प्रतीत होती है।

**19.** अभियोजन साक्षी-2, पार्वती देवी ने मुख्य-परीक्षण में बयान दिया कि कथित घटना रात लगभग 8:00 बजे हुई थी और उस समय वह अपने घर के अंदर अपनी ननद (अभियोजन साक्षी 1) के साथ थीं तथा उनके ससुर, बंसीधर (मृतक) आंगन में सो रहे थे। उसी समय अभियुक्त और अन्य आरोपी उनके घर में घुस आए और गाली-गलौज करने लगे। उन्होंने आगे कहा कि आरोपियों ने उनके ससुर, पीड़ित को आंगन से बाहर घसीट लिया, तब उन्होंने और उनके अन्य परिजनों ने *हल्ला* मचाया, लेकिन इसी बीच अभियुक्त ने उनके ससुर पर *खंती* से प्रहार किया और अन्य आरोपियों ने *लाठी* से मारा। इसके बाद जब लोग घटनास्थल की ओर

आने लगे तो आरोपी वहां से भाग निकले। उन्होंने मुख्य-परीक्षण में आगे बताया कि उनके पति (सूचक) ने उनके ससुर (पीड़ित) को खड़गपुर अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उनके ससुर की मृत्यु हो गई। गवाही के दौरान प्रति-परीक्षण में उन्होंने कहा कि उन्होंने *दरोगा जी* (पुलिस अधिकारी) को अपने बयान में बताया था कि अभियुक्त अरुण टांटी ने उनके ससुर पर *खंती* से प्रहार किया था। उन्होंने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इनकार किया कि उन्होंने वाष्प प्रकाश में अभियुक्त की पहचान के *तथ्य* को नहीं बताया। उन्होंने आगे बताया कि *मारपीट* की सारी घटना सड़क पर हुई थी और पीड़ित के शरीर से काफी मात्रा में खून बहकर जमीन पर गिरा, जिसे उन्होंने पुलिस अधिकारी को दिखाया था। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपियों ने उनके ससुर को घेर लिया और उन पर 5 से 6 लाठी वार किए, जिससे वह गिर पड़े, और उसके बाद आरोपियों ने उन पर 3 से 4 और लाठी वार किए। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता और उनके परिवार के बीच पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी। हालांकि, सह-अभियुक्तों द्वारा लाठी से किए गए प्रहारों की संख्या के संबंध में गवाह ने अभियोजन के आरोप को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया, जो मुख्यतः सह-अभियुक्तों के विरुद्ध है, लेकिन अपीलकर्ता के विरुद्ध जो आरोप सामने आया है, उसमें वह लगातार एक समान रही। अपीलकर्ता की भूमिका तथा मृतक पर हमले में उसके द्वारा प्रयुक्त किए गए कथित हथियार के संबंध में भी वह अभियोजन की कहानी के अनुरूप बनी रही और इस संदर्भ में उनकी गवाही विश्वसनीय प्रतीत होती है।

**20.** अभियोजन साक्षी-3, सुरेश ताँती ने मुख्य-परीक्षण में बयान दिया कि कथित घटना शाम के समय हुई थी और उस समय वह भोजन कर रहे थे, तभी उनके भाई आए और उन्हें बताया कि मृतक के घर के पास *हल्ला* हो रहा है। इसके बाद वह वहां गए और देखा कि अपीलकर्ता मृतक की पीठ पर *खंती* से प्रहार कर रहा था, जबकि अन्य आरोपी संजय ताँती, गजेन्द्र ताँती और लीलाधर ताँती भी मृतक पर *लाठी* से हमला कर रहे थे। इसके बाद पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। इस गवाह के अनुसार, आरोपियों ने पहले पीड़ित को गाली-गलौज

करना शुरू किया था, जिसका विरोध पीड़ित ने किया। प्रति-परीक्षण में उसने कहा कि वह मृतक का सगा भाई है और उसका घर मृतक के घर के ठीक सामने स्थित है तथा दोनों घरों के बीच केवल 20 से 25 हाथ की दूरी है। उसने आगे बयान दिया कि उसने शाम 7:00 बजे *हल्ला* सुना और *हल्ला* सुनने के पाँच मिनट के भीतर वह घटनास्थल पर पहुँच गया और उसके सामने गाली-गलौज की घटना हुई, जिसमें अपीलकर्ता और सह-अभियुक्त संजय ताँती गाली दे रहे थे। *मारपीट* की घटना मृतक के घर के दरवाज़े के पास सड़क पर हुई थी और वह सड़क *पक्का* नहीं था। उन्होंने प्रति-परीक्षण में आगे बयान दिया कि अपीलकर्ता ने मृतक पर केवल एक बार *खंती* से प्रहार किया था और मृतक के शरीर पर पहला प्रहार उसी *खंती* से किया गया था, जिसके बाद *लाठी* से अन्य प्रहार किए गए। उन्होंने आगे कहा कि मृतक के मुँह, नाक और शरीर से खून निकल रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि मृतक की *बनियान* खून से भीग गई थी और कथित घटना के समय ज़मीन के एक *बिट्टा* क्षेत्र (छोटे हिस्से) पर भी खून गिरा था। उन्होंने आगे कहा कि कथित घटना के बाद अगले दिन सुबह पुलिस आई और घटनास्थल की अनुसंधान किया ।

हालाँकि गवाह ने कथित घटना के प्रासंगिक समय के दौरान अपना घर पीड़ित के घर से अलग होने का खुलासा किया, लेकिन यह भी खुलासा किया कि उसका घर पीड़ित के घर से 20 से 25 हाथ की दूरी पर स्थित था और उसने बताया कि उसने *हल्ला* सुना, जो तब उठाया गया था जब आरोपियों ने मृतक को गाली देना शुरू किया। इस *हल्ले* के बारे में सूचित होने के बाद, वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और कथित *मारपीट* की घटना को देखा। घटना के मुख्य महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में, उसकी गवाही विश्वसनीय प्रतीत होती है, विशेष रूप से अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संदर्भ में, और उसने लगातार यह बताया कि अपीलकर्ता ने मृतक पर हमले में जो उपकरण उपयोग किया, वह वही था और घटना के तरीके के संबंध में, जिसमें अन्य आरोपियों की भूमिका भी शामिल है, वह भी समान रूप से कायम रहा।

**21.** अभियोजन साक्षी 4, सूचक और मृतक का पुत्र, ने मुख्य-परीक्षण में बयान दिया कि वह अपनी गाय का दूध निकाल रहा था और फिर लगभग शाम के 8 बजे, अभियुक्तों सहित अपीलकर्ता उसके घर में घुसे और गाली-गलौज करने लगे। *हल्ला* सुनकर वह वहां पहुंचे और शोर मचाया, फिर उसके सह-गांववाले, जैसे कि विलाश ताँती, बिंदु ताँती, सुरेश ताँती, पंकज ताँती और भूषण ताँती भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता ने उनके पिता को घर से बाहर खींचकर सड़क पर लाया, जहाँ उसने उनके पिता पर *खंती* से प्रहार किया और अन्य सह-आरोपी (तीन की संख्या में) ने उन्हें *लाठी* से मारा। इसके बाद, वह अपने पिता को एक ठेलागाड़ी *(ठेला)* पर सरकारी अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में उनके पिता की मृत्यु हो गई, फिर वह पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने आगे कहा कि उनके पिता के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल, मुंगेर में हुआ था और घटनास्थल पर उनका जांच रिपोर्ट तैयार किया गया, जिस पर उन्होंने अपनी अंगूठा का निशान लगाया। प्रति-परीक्षण में उन्होंने कहा कि जहां वह गाय का दूध निकाल रहे थे, वह स्थान घटनास्थल से केवल चार कदम की दूरी पर था और जब वह अपने घर के अंदर आए, तो उन्होंने देखा कि आरोपी उनके पिता को गाली दे रहे थे और उनकी आवाज़ सुनकर उनके गांववाले, विलाश ताँती , बिंदु ताँती , सुरेश ताँती, पंकज ताँती और भूषण ताँती मौके पर पहुंचे। उन्होंने आगे प्रति- परीक्षण में कहा कि आरोपी ने उनके पिता को सड़क पर खींच लिया, जिसके बाद अपीलकर्ता ने उनके पिता की पीठ पर *खंती* से प्रहार किया और फिर अन्य आरोपी ने उन्हें *लाठी* से मारा, इसके बाद आरोपी मौके से भाग गए और *मारपीट* की घटना 5 मिनट तक जारी रही। हालाँकि इस गवाह ने कहा कि उसने अपने पिता को बचाने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं किया, केवल शोर मचाया, लेकिन उसने यह भी स्पष्ट किया कि घटना के समय उसे यह डर था कि अगर उसने पीड़ित को बचाने की कोशिश की तो आरोपी उसे भी हमला कर सकते थे। उसने प्रति-परीक्षण में आगे कहा कि पीड़ित के शरीर से खून गिरकर ज़मीन पर पड़ा और खून से सनी हुई मिट्टी को पुलिस ने उठाया।

अपीलकर्ता की उपस्थिति का *तथ्य*, मृतक पर हमला करने में उसके द्वारा कृषि उपकरण *खंती* का उपयोग, आरोपियों की संख्या और उनके द्वारा मृतक पर हमला करने में उपयोग किए गए साधन, साथ ही गाली-गलौज से संबंधित घटना का प्रारंभिक हिस्सा, जैसा कि अभियोजन साक्षी-4 की गवाही से स्पष्ट है, अभियोजन की कहानी से उभरने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों की पूरी तरह से पुष्टि करता है और वह एक विश्वसनीय गवाह भी प्रतीत होता है।

**22.** जहां तक अभियोजन साक्षी 6 की गवाही का सवाल है, वह भी एक विश्वसनीय गवाह प्रतीत होते हैं, क्योंकि घटनास्थल पर उनके उपस्थित होने का तथ्य सूचक द्वारा उजागर किया गया है और उन्होंने विशेष रूप से घटना के तरीके और अभियुक्तों, जिसमें अपीलकर्ता भी शामिल है, द्वारा की गई कथित गतिविधियों के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। हालांकि सह-आरोपी लीलाधर ताँती द्वारा कथित रूप से उपयोग किए गए साधन के बारे में कुछ विपरीत बयान है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उस सह-आरोपी के पास *गरांसा* था, लेकिन अपीलकर्ता द्वारा पीड़ित पर *खंती* से हमला करने के बारे में वह लगातार एक समान रहे और प्रति-परीक्षण में उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता ने पीड़ित पर *खंती* से हमला किया और उसके पीठ पर एक *खंती* का वार किया। उन्होंने प्रति-परीक्षण में यह भी कहा कि मृतक की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और उन्होंने यह सुझाव नकारा कि वह संबंधित समय पर घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे, इसलिए इस गवाह की गवाही अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

**23.** जहाँ तक अभियोजन साक्षी-7 और अभियोजन साक्षी-8 की गवाही का सवाल है, वे कथित घटना के चश्मदीद गवाह प्रतीत नहीं होते, क्योंकि अभियोजन साक्षी-7 ने प्रति-परीक्षण में कहा कि कथित घटना के समय वह अपनी गेहूं की खेत में थे और उन्होंने घटना को नहीं देखा। इसी प्रकार, अभियोजन साक्षी-8 ने प्रति-परीक्षण में कहा कि वह *हल्ला* सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने किसी को भी हमला करते हुए नहीं देखा।

**24.** अब हम अभियोजन साक्षी-9 द्वारा दी गई चिकित्सीय साक्ष्य की बात करते हैं, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम किया। उन्होंने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को प्रमाणित किया, जिसे प्रदर्श-3 के रूप में चिह्नित किया गया था। उन्होंने बयान दिया कि शव की जांच करने पर उन्हें दो बाहरी चोटें मिली, जो निम्नलिखित थीं:

(i) दोनों नासिकाओं से रक्तस्राव होना।

(ii) आकार 2 "x 1/4" x आंत की गहराई के कशेरुका के टी*3* स्तर पर छाती के दाहिने तरफ ऊपरी पीठ पर एक घाव की चोट।

विच्छेदन करने पर, उन्होंने पाया कि मृतक का दाहिना फेफड़ा टूट गया था और दाहिनी पीठ की चौथी पसली टूट गई थी। उन्होंने कहा कि मृतक की मृत्यु का कारण रक्तस्राव, सदमे और महत्वपूर्ण अंग (फेफड़े) को चोट लगना है जो भेदक हथियार के कारण उपरोक्त चोट के परिणामस्वरूप हुआ है। गवाह ने जाँच के समय से 24 घंटे के भीतर मृतक की मृत्यु के समय की राय दी। पोस्टमार्टम 18.04.2011 को दोपहर 2:00 बजे किया गया और कथित घटना 17.04.2011 को लगभग 8:00 बजे हुई बताई गई है और शव के अंगों में कठोरता पाई गई। इस चिकित्सा गवाही के प्रकाश में, एक बात स्पष्ट है कि मृतक की पीठ पर एक भेदक घातक चोट आई थी और कथित रूप से इस चोट को देने के लिए इस्तेमाल किया गया उपकरण मृतक के शरीर में पीछे से घुसा, जिससे मृतक के एक फेफड़े को नुकसान पहुँचा, जो उसकी मृत्यु का मुख्य कारण था और यह गवाही इस बात का समर्थन करती है कि मृतक पर हमला करने में *खंती* का उपयोग किया गया था, क्योंकि *खंती* जैसे कृषि उपकरण से कट, छेद, फटे घाव और यहां तक कि अंगों का वियोग भी हो सकता है और जैसा कि अभियोजन साक्षी-9 के अनुसार, छाती के दाहिने ऊपरी हिस्से में एक लांस के आकार की चोट पाई गई, जो एक भेदक उपकरण/हथियार द्वारा संभव थी, जैसा कि अभियोजन साक्षी 9 ने बताया। इस प्रकार, चिकित्सीय साक्ष्य, जिसमें उस उपकरण के बारे में बताया गया है जिसे कथित रूप से अपीलकर्ता ने मृतक पर हमला

करने के लिए इस्तेमाल किया था, और मृतक के जिस अंग पर उक्त उपकरण का उपयोग किया गया, वह पूरी तरह से अभियोजन की कहानी का समर्थन करती है। इसके अतिरिक्त, मृतक की मृत्यु के संदर्भ में, जो कि मृतक की मृत्यु का स्पष्ट कारण पंचनमा रिपोर्ट (प्रदर्श-4) में उल्लिखित है, वह भी अभियोजन की कहानी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समर्थन देती है, जैसे कि मृतक की पीठ पर चोट।

**25.** अब हम अनुसंधान अधिकारी के साक्ष्य पर आते हैं, जिन्हें अभियोजन साक्षी-5 के रूप में परीक्षण लिया गया है। उन्होंने मुख्य-परीक्षण में कहा कि 17.04.2011 को उन्हें अनुसंधान कार्य सौंप दी गई थी और उसके बाद उन्होंने घटना स्थल की जांच की। इस गवाह के अनुसार, घटना स्थल मृतक के घर का *दालान* था। *दालान* को *वरांदा* या एक खुला हॉल माना जाता है। इस गवाह ने यह भी कहा कि मृतक का *दालान* घास-फूस से बना हुआ था। मुख्य परीक्षण में, इस गवाह ने अभियोजन की कहानी के खिलाफ कोई तथ्य नहीं उजागर किया और उसने बस इतना कहा कि उसने घटना स्थल का दौरा किया, गवाहों के बयान दर्ज किए और अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से दिशा-निर्देश प्राप्त किए, जिसमें मृतक का पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी शामिल था, और इसके बाद उसने अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया और सह-आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान लंबित रखा। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि सभी प्रमुख गवाहों का अपीलकर्ता की ओर से प्रति-परीक्षण किया गया, लेकिन जांच अधिकारी का प्रति-परीक्षण नहीं किया गया, क्योंकि अपीलकर्ता की ओर से कथित गवाह की प्रति-परीक्षण करने के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए अपीलार्थी यह दलील नहीं ले सकता कि उसे अनुसंधान अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के पिछले बयानों के आलोक में अनुसंधान अधिकारी से जिरह करके महत्वपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों की सत्यता का परीक्षण करने का मौका नहीं मिला।

**26.** अब हम कथित घटनास्थल के स्थान से संबंधित विरोधाभास पर आते हैं जैसा कि अपीलकर्ता के वकील ने बताया है। सूचक (पी.डब्लू.4) ने एफआईआर में खुलासा किया कि अपीलकर्ता सहित आरोपी

व्यक्ति उसके घर में घुसे और उसके बाद मृतक पर *खंती* और *लाठी* से हमला किया, हालांकि, उन्होंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष साक्ष्य में कहा कि आरोपी उसके पिता को उसके घर से घसीटकर सड़क पर ले गए जहां आरोपी ने उसके पिता पर हमला किया। इसी तरह के साक्ष्य कुछ अन्य महत्वपूर्ण गवाहों द्वारा दिए गए थे और जांच अधिकारी के अनुसार, घटनास्थल मृतक के घर के *दालान* में था। ग्रामीण क्षेत्र में *दालान* का स्थान मुख्यतः घर के बाहरी भाग में मुख्य द्वार के पास माना जाता है, इसलिए यदि हम घटना के आरंभ और अंत के संबंध में अभियोजन पक्ष के सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हैं, तो हमें कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं मिलता है, जो अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है, जहां तक घटना के स्थान का संबंध है और इसके अलावा, यह नजरअंदाज करने योग्य है क्योंकि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप और घटना के तरीके के संबंध में अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण गवाहों के प्रत्यक्ष साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। इसके अलावा, चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के आरोप की पुष्टि करते हैं। कानून की यह स्थापित स्थिति है कि साक्ष्यों की सराहना करते समय मामूली विसंगति को अनावश्यक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि ऐसी विसंगति अभियोजन पक्ष के मामले के मूल संस्करण को हिला न दे या मामले की जड़ तक न पहुंच जाए जिससे अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी ध्वस्त हो जाए और इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अप्पाभाई बनाम गुजरात राज्य** जो **(1988) सुपप एस. सी. सी. 241** में रिपोर्ट किया गया के मामले में पारित निर्णय के पैरा नंबर 13 में की गई टिप्पणी महत्वपूर्ण है, जिसे निम्नलिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

> *"13. ... न्यायालय को जब साक्ष्य का मूल्यांकन करना हो, तो उसे मामूली विसंगति को अत्यधिक महत्व नहीं देना चाहिए। वे विसंगति जिन्हें अभियोजन के मामले के मूल संस्करण को हिलाने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें नकारा जा सकता है। जो विसंगति सामान्य दृष्टि या निरीक्षण की त्रुटियों के कारण होती हैं, उन्हें महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। याददाश्त की कमी के कारण हुई त्रुटियों को उचित ध्यान दिया जा सकता*

*है। न्यायालय को विभिन्न मामलों में अपने विशाल अनुभव को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड पर मौजूद सभी सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए, जबकि किसी भी गवाह द्वारा दी गई अतिशयोक्ति को छोड़ते हुए। जब किसी गवाह द्वारा प्रस्तुत कुछ तथ्यों को लेकर संदेह उत्पन्न होता है, तो उचित कदम यह होगा कि उस तथ्य को नकार दिया जाए, जब तक कि वह मामले के मूल में न चला जाए, जो पूरी अभियोजन कहानी को ध्वस्त कर सके। आजकल गवाह अपने बयानों में अलंकरण जोड़ते रहते हैं, शायद इस डर से कि उनकी गवाही को न्यायालय द्वारा नकारा जा सकता है। हालांकि, न्यायालयों को ऐसी गवाहों की गवाही को पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं मानना चाहिए यदि वे अन्यथा विश्वसनीय हैं। न्यायमूर्ति जगनमोहन रेड्डी द्वारा सोहराब बनाम राज्य, मध्यप्रदेश मामले में (सोहराब बनाम मध्यप्रदेश राज्य (1972) 3 एससीसी 751 : 1972 एससीसी (सीआरआई) 819) : (एससीसी पृष्ठ 756, पैरा 8)...."*

इसलिए, केवल घटनास्थल के स्थान के संबंध में उपरोक्त मामूली विसंगति के आधार पर हम अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने के लिए राजी नहीं हैं।

**<u>निष्कर्षः-</u>**

**27.** विचारण न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों पर विचार करने और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वर्तमान मामले में अभियोजन ने आरोपित घटना और अपीलकर्ता के आरोपित कृत्य को साबित करने में सफलता प्राप्त की है। अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ 34 के तहत अपराध का आरोप था और न्यायालय ने उसे उक्त आरोपित अपराध के लिए दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से प्रकट होने वाले इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में, हमारा विचार है कि अपीलार्थी का कथित कार्य मानव वध जो इरादतन-हत्या हो उसके दायरे में नहीं आता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के

दौरान हमें कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ मिलती हैं। पहला, प्राथमिकी में वर्णित *मारपीट* की कथित घटना पूर्वनियोजित प्रतीत नहीं होती और यह गाली-गलौज की घटना के चलते क्षणिक उत्तेजना में घटित होती प्रतीत होती है, जिसके कारण अपीलकर्ता एवं सह-आरोपित व्यक्तियों द्वारा मृतक के साथ *मारपीट* की गई। दूसरा, अभियोजन का मामला यह है कि अपीलकर्ता ने *खंती* से मृतक की पीठ पर केवल एक ही वार किया और उस पर उसी उपकरण से बार-बार हमला करने का आरोप नहीं है, जबकि मृतक भूमि पर गिर पड़ा था, और अभियोजन साक्ष्य से यह भी स्पष्ट नहीं होता कि कथित घटना के पूर्व अभियुक्तों, जिसमें अपीलकर्ता भी शामिल है, ने किसी प्रकार की पूर्व तैयारी की थी। तीसरा, अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार, अपीलकर्ता और मृतक के बीच कोई पूर्व शत्रुता नहीं थी, हालांकि प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी और मृतक के बीच गाली-गलौज की एक घटना घटी थी और उस समय, आरोप के अनुसार, आरोपियों सहित अपीलकर्ता ने सूचक को जान से मारने की धमकी दी थी, परंतु उक्त पूर्व घटना के संबंध में अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने कुछ नहीं कहा। अतः अपीलकर्ता के पास मृतक को जान से मारने का कोई ठोस पूर्वनियोजित कारण नहीं था। अपीलकर्ता के कथित कृत्य के आलोक में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने मृतक की मृत्यु कारित करने की मंशा से या मृतक को उक्त चोट पहुँचाकर उसकी मृत्यु कारित करने की मंशा से कथित शारीरिक चोट पहुँचाई थी, किंतु यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसे इस बात का ज्ञान था कि मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर *खंती* का प्रहार करने से मृतक की मृत्यु होने की संभावना है। अतः, ऐसी स्थिति में, अपीलकर्ता का कथित कृत्य हत्या न होकर गैर इरादतन हत्या भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के द्वितीय भाग के अंतर्गत आता है, जिसके लिए अधिकतम दंड दस वर्ष का कारावास है और वर्तमान अपीलकर्ता पहले ही इस मामले में चौदह वर्ष का कारावास भुगत चुका है। जब अपीलकर्ता को धारा 302 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत दंडित किया गया, तो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसे आजीवन साधारण कारावास की सजा तथा ₹5,000/- के जुर्माने से दंडित किया गया, जो कि विधिसम्मत नहीं था, क्योंकि आजीवन कारावास का अर्थ होता है दोष सिद्ध व्यक्ति के शेष प्राकृतिक

जीवनकाल तक कारावास और सजा का स्वरूप साधारण या कठोर निर्दिष्ट करना विचारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, चूँकि भा.दं.सं. में उल्लिखित दंड की श्रेणियों के अनुसार आजीवन कारावास अपने आप में एक अलग प्रकार की सजा है। अतः, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों, विशेष रूप से अभियोजन साक्षी-1, अभियोजन साक्षी-2, अभियोजन साक्षी-3, अभियोजन साक्षी-4 तथा अभियोजन साक्षी-6 के मौखिक साक्ष्यों, जो चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पुष्टि प्राप्त करते हैं, के आधार पर अभियुक्त (अपीलार्थी) के कथित कृत्य को सिद्ध किया गया है। तथापि, उपर्युक्त कारणों के आधार पर, हम अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता, की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए सहमत नहीं हैं। अतः, अपीलार्थी की दोषसिद्धि को उपर्युक्त अपराध से परिवर्तित कर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-2 के अंतर्गत अपराध का दोषी ठहराते हैं। और चूंकि अपीलार्थी पहले ही चौदह वर्षों की कारावास की अवधि पूर्ण कर चुका है, जो कि उपर्युक्त अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दंडावधि से भी अधिक है, अतः, उसे यदि किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

**28.** परिणामस्वरूप, यह अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है।

**29.** निर्णय की प्रति तत्काल प्रभाव से विचारण न्यायालय के साथ-साथ संबंधित जेल प्राधिकरण को सूचना और आवश्यक अनुपालन के लिए भेजा जाए।

**30.** विचारण न्यायालय के अभिलेख को तत्काल विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाए।

**(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)**

**मैं सहमत हूँ।**

**(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)**

**(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)**

मायनाज/-

**खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**